

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1711/ग्यारह-2-25-9(42)/17-टी.सी.74-30प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-
(356)-2025

लखनऊ, दिनांक: २० सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अइसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अइसठवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह नियमावली इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तारीख 22 सितंबर, 2025 से प्रवृत्त होगी।
नियम 31क का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 31क में, उप-नियम (2) में, अंक "128" के स्थान पर अंक "140" रख दिया जाएगा।
नियम 39 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, तारीख 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, नियम 39 में, उप-नियम (1क) में, शब्द और अंक "धारा 9 की" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: — " उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2025) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन"।
नियम 91 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, तारीख 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, नियम 91 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्: — "(2). समुचित अधिकारी, सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अभिस्वीकृति की तारीख से सात दिन से अनधिक की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में आदेश करेगा: परंतु यह कि समुचित अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनंतिम आधार पर प्रतिदाय प्रदान नहीं कर सकता है और नियम 92 के अधीन आदेश के साथ आगे बढ़ सकता है: परंतु यह और कि प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को समुचित अधिकारी द्वारा पुनः विधिमान्य किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।"
नियम 110 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 110 में- (क) उपनियम (1) में,— (i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप से और अनंतिम पावती" के पश्चात शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी

		एपीएल-02क के भाग क में" बढ़ा दिए जाएंगे; (ii) परंतुक निकाल दिया जाएगा; (ख) उपनियम (2) में, परंतुक निकाल दिया जाएगा; (ग) उपनियम (4) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में" जहाँ जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में" रख दिए जाएंगे।
नियम 110क का बढ़ाया जाना	6.	उक्त नियमावली में, नियम 110 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— "110क. एकल सदस्य पीठ द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया— (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि किसी राज्य पीठ के संबंध में अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो या तो अपनी स्वयं की पहल पर या अपील के पक्षकारों द्वारा दाखिल आवेदन पर, अपील की संवीक्षा कर सकता है और यदि अपील में विधि का प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी अपील को संबंधित राज्य के भीतर किसी एकल सदस्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है। (2) यदि एकल सदस्य पीठ, उपनियम (1) के अधीन आबंटित अपील की सुनवाई करते समय, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील में विधि का प्रश्न सम्मिलित हो सकता है, तो ऐसी पीठ लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अपील को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगी। (3) उपनियम (1) के अधीन अपील की संवीक्षा या उपनियम (2) के अधीन अपील के पुनर्विचार के दौरान, यह तथ्य कि क्या किसी राज्य के भीतर उसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, समान मुद्दा, समान या भिन्न कर अवधि के लिए पहले से ही तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना जा चुका है या उसका विनिश्चय हो चुका है, को ध्यान में रखा जाएगा और जहां ऐसा मामला विद्यमान है, अपील तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुनी जाएगी। (4) धारा 109 की उपधारा (8) के अधीन पचास लाख रुपए की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, सम्मिलित संचयी कर या इनपुट कर क्रेडिट, या जुर्माना, फीस या शास्ति की राशि का अवधारण अपील किए गए आदेश में आच्छादित सभी मुद्दों और सभी कर अवधियों के संदर्भ में किया जाएगा।"
नियम 111 का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में नियम 111 में— (क) उपनियम (1) में,— (i) शब्द " अन्तिम पावती "शब्दों के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग क में" बढ़ा दिए जाएंगे; (ii) परंतुक निकाल दिया जाएगा; (ख) उपनियम (2) में, परंतुक निकाल दिया जाएगा; (ग) उप-नियम (4) में,— (i) शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में", जहां जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02क के भाग ख में" रख दिए जाएंगे; (ii) द्वितीय परंतुक में, शब्द "स्व-प्रमाणित प्रति" के स्थान पर शब्द "स्व-सत्यापित प्रति" रख दिए जाएंगे।
नियम 113 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली के नियम 113 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा; अर्थात्:— "(2) अपीलीय अधिकरण, धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ, प्ररूप

		जीएसटी एपीएल-04क में आदेश का सारांश जारी करेगा, या जारी कराएगा, जिसमे अपीलीय अधिकरण द्वारा पुष्टि की गयी मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जायेगी।“																		
नियम प्ररूप जीएसटीआर-9 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में- (क) सारणी में,- (i) भाग III में, शीर्षक "वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे" के अधीन, - (क) क्रम संख्या 6 के समक्ष, शीर्षक "वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गए आईटीसी के ब्यौरे" के अधीन, - (I) क्रम संख्या क, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: - “ <table><tr><td>क1</td><td>नियम 37 और नियम 37क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी से भिन्न वित्तीय वर्ष में उपयोग किये गये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का आईटीसी जो वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया (जो उपर्युक्त 6क में सम्मिलित है)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>क2</td><td>वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी =(क-क1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ”; (II) क्रम संख्या ज के समक्ष प्रविष्टि में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "(उपर्युक्त ख से भिन्न)" निकाल दिया जाएगा; (III) क्रम संख्या ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:- “ <table><tr><td>ज</td><td>अंतर (उपर्युक्त झ-क2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ”; (IV) क्रम संख्या ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:- “	क1	नियम 37 और नियम 37क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी से भिन्न वित्तीय वर्ष में उपयोग किये गये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का आईटीसी जो वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया (जो उपर्युक्त 6क में सम्मिलित है)					क2	वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी =(क-क1)					ज	अंतर (उपर्युक्त झ-क2)				
क1	नियम 37 और नियम 37क के अधीन पुनः दावा किए गए आईटीसी से भिन्न वित्तीय वर्ष में उपयोग किये गये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का आईटीसी जो वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया (जो उपर्युक्त 6क में सम्मिलित है)																			
क2	वित्तीय वर्ष का शुद्ध आईटीसी =(क-क1)																			
ज	अंतर (उपर्युक्त झ-क2)																			

ड	आईटीसी-01, आईटीसी-02 और आईटीसी-02क (जीएसटीआर-3ख और ट्रान फॉर्म से भिन्न) के माध्यम से उपभोग किया गया आईटीसी "				
---	---	--	--	--	--

”;

(ख) क्रम संख्या 7 के समक्ष, शीर्षक "वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी और अपात्र आईटीसी के व्यौर" के अधीन,-

(झ) क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

क1	नियम 37क के अनुसार				
क2	नियम 38 के अनुसार				

”;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, शीर्षक "अन्य आईटीसी संबंधी सूचना" के अधीन,-

क्रम संख्या ख के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

ख	उपर्युक्त 6(ख) के अनुसार आईटीसी	<ऑटो>				
---	---------------------------------	-------	--	--	--	--

”;

क्रम संख्या ज के समक्ष प्रविष्टियों में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपर्युक्त 6 (ड) के अनुसार" के पश्चात्, शब्द "वित्तीय वर्ष में" बढ़ा दिये जाएंगे;

क्रम संख्या ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

ज1	मालों के आयात पर अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग की गई आईजीएसटी प्रत्यय				
----	---	--	--	--	--

”;

क्रम संख्या झ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

”

झ	अंतर [छ - (ज + ज1)]				
---	---------------------	--	--	--	--

”;

(ii) भाग IV में, शीर्षक "वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए गए रिटर्न में घोषित कर संदाय के विवरण" के अधीन-

क्रम संख्या 9, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

9	विवरण	संदेय कर	नकद के माध्यम से संदत्त	आईटीसी के माध्यम से संदत्त				कुल संदत्त कर	संदेय कर और संदत्त कर के बीच अंतर
				केंद्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7	2-8
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								
	उपकर								
	व्याज								
	विलंब फीस								
	शास्ति								

	अन्य								
(iii) भाग V में, शीर्षक आगामी वित्तीय वर्ष की विवरणियों में विनिर्दिष्ट अवधि तक घोषित वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहार की प्रविष्टियाँ के अधीन- (क) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्: -									
10	चालान / डेबिट नोट / संशोधनो के माध्यम से घोषित आपूर्ति / कर (+)								
11	संशोधनो / क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाई गई आपूर्ति / कर (-)								
12	अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित वित्तीय वर्ष का आईटीसी								
13	अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया वित्तीय वर्ष का आईटीसी								
14	उपर्युक्त 10 और 11 की घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर								
	विवरण	संदेय	संदत्त	अंतर					
	1	2	3	2-3					
	एकीकृत कर								

केंद्रीय कर			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			
उपकर			
ब्याज			

(ख) शीर्षक " अनुदेश" के अधीन,-

पैराग्राफ 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"1. उपयोग किए गए शब्द:

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कोड

(ग) एचएसएन: नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति कोड

(घ) आईटीसी: इनपुट कर प्रत्यय";

पैराग्राफ 2क में,-

शब्द " केवल वित्तीय वर्ष " के पश्चात्, शब्द "जिसके लिए वार्षिक रिटर्न फाइल किया जा रहा है" शब्द बढ़ा दिए जाएंगे;

शब्द "यहाँ नहीं रिपोर्ट किया जाएगा" के पश्चात्, शब्द "जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक न हो" बढ़ा दिए जाएंगे;

पैराग्राफ 4 में, -

शब्द, अक्षर और अंक "या वित्त वर्ष 2023-24" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या वित्त वर्ष 2024-25" बढ़ा दिए जाएंगे;

सारणी में, -

दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या "5घ, 5ड और 5च" के समक्ष, अक्षर और अंक "वित्त वर्ष 2023-24" के पश्चात्, अक्षर और अंक "और वित्त वर्ष 2024-25," बढ़ा दिए जाएंगे;

दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 5ज, 5झ और "5ञ और 5ट" के समक्ष, शब्द और अंक "2022-23 और 2023-24" के स्थान पर, शब्द और अंक "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रख दिए जाएंगे;

पैराग्राफ 5 में, सारणी में, -

दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 6क के समक्ष, शब्द "करदाता" के स्थान पर शब्द "वित्तीय वर्ष" रख दिए जाएंगे;

सारणी संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् : -

6क।	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में आईटीसी, किंतु उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग किया गया जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, उस वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, और उपर्युक्त सारणी 6क में ऑटो पॉप्युलेटेड वैल्यूज में सम्मिलित है, यहाँ घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में (नियम 37 या नियम 37क के कारण) प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः दावा किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में (नियम 37 या नियम 37क के कारण से भिन्न) प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः दावा किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और यह नीचे तालिका 6ज में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
-----	--

दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 6ख के सामने, -

शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "नीचे 6(ज) के अधीन प्रथक रूप से" के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, जो आईटीसी (पहली बार) उपभोग किया गया था वह इस सारणी में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल तालिका 6ज में घोषित किया जाना चाहिए।";

अंक और शब्द "2022-23 और 2023-24" के स्थान पर अंक और शब्द "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रखे जाएंगे।

(घ) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 6ग और 6घ के समक्ष शब्द और अंक "2022-23 और 2023-24" के स्थान पर, शब्द और अंक "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रख दिए जाएंगे।

(ङ) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 6ज के समक्ष शब्द " यहाँ घोषणा की जाएगी ।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, आईटीसी उपभोग, प्रत्यावर्तित और फिर पुनः उपभोग किए जाने के मामले में, अन्तर्वर्ती आपूर्ति पर आईटीसी (प्रत्यावर्ती प्रभार के लिए दायी आयात और अन्तर्वर्ती आपूर्ति से भिन्न किंतु जिसमें एसईजेड से प्राप्त सेवायें सम्मिलित हैं) जो (पहली बार) प्राप्त किया गया था वह उपर्युक्त सारणी 6ख में घोषित किया जाना चाहिए। जो आईटीसी प्रत्यावर्तित किया गया था वह तालिका 7 में घोषित किया जाना चाहिए और जिस आईटीसी का पुनः उपभोग किया गया है वह केवल यहाँ घोषित किया जाना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका उपभोग किया गया था और किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में (नियम 37 या नियम 37क के कारण) प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा।

साथ ही, यदि कोई आईटीसी जिसका दावा किया गया था और पूर्व वित्तीय वर्ष में (नियम 37 या नियम 37क के कारण से भिन्न) प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः उपभोग किया गया जिसके लिए यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यह ऊपर तालिका 6क1 में रिपोर्ट किया जाना है।";

(च) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 6अ. के समक्ष, शब्द "यह रकम शून्य होनी चाहिए।" के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, सारणी 6क2 के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से उपभोग किये गए वित्तीय वर्ष के शुद्ध आईटीसी की कुल राशि और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच अंतर यहाँ ऑटो पॉप्युलेट किया जाएगा। आदर्श रूप से, यह राशि शून्य होनी चाहिए।";

(छ) सारणी संख्या 6ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रख दी जाएंगी, अर्थात्: -

6ण	वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01, प्ररूप आईटीसी-02 और आईटीसी-02क के माध्यम से उपभोग किये गए आईटीसी के विवरण (अर्थात् जीएसटीआर 3ख, ट्रान-1 और ट्रान-II के अतिरिक्त अन्य फॉर्म के माध्यम से प्राप्त आईटीसी) यहाँ घोषित किए जाएंगे।
----	---

“;

(ज) सारणी संख्या "7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज" और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियाँ रख दी जाएंगी, अर्थात्: -

“

7क, 7क1, 7क2, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	अपात्रता के कारण या सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37, 37क, 38, 39, 42 और 43 के अधीन आवश्यक प्रत्यावर्तन के कारण प्रत्यावर्तित इनपुट कर प्रत्यय के विवरण यहाँ घोषित किए जाएंगे। इस स्तम्भ में यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन प्रत्यावर्तित किसी भी इनपुट कर प्रत्यय के विवरण और प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 या प्ररूप जीएसटी ट्रान-11 के अधीन दावा किए गए अपात्र संक्रमण प्रत्यय के विवरण और बाद में प्रत्यावर्तित किए गए विवरण भी सम्मिलित होने चाहिए। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से प्रत्यावर्तित कोई भी आईटीसी या ऊपर किसी भी पंक्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया कोई अन्य प्रत्यावर्तन 7ज में घोषित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास या तो सारणी 7क से 7ड में अपनी प्रत्यावर्तन संबंधी जानकारी अलग से भरने या केवल तालिका 7ज के अधीन प्रत्यावर्तन की पूरी राशि रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।
--	--

“;

(झ) सारणी संख्या 8ख के समक्ष, शब्द और कोष्ठक "व्यौरे अपलोड करें सीए प्रमाणीकरण के बिना ।" के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, सारणी 6ख में घोषित इनपुट कर प्रत्यय यहाँ ऑटो-पोप्युलेट किया जाएगा।" बढ़ा दिया जाएगा।

(ज) दूसरे स्तम्भ में सारणी संख्या 8ज के समक्ष शब्द इनपुट कर प्रत्यय के पश्चात्, शब्द "वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया" बढ़ा दिए जाएंगे।

(ट) सारणी संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

8ज1	8छ में से, माल के आयात पर इनपुट कर प्रत्यय जो अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा।
-----	---

(v) पैराग्राफ 7 में,-

(क) शब्द, अक्षर और अंक "30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया " के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2024-25 के आगे से भाग V में उस वित्तीय वर्ष के संव्यवहार के विवरण सम्मिलित हैं जिसके लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया गया है किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर के महीनों के लिए फाइल प्ररूप

		जीएसटीआर-3ख में घोषित किया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया है।"; (ख) सारणी में, - (झ) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या "10 और 11" के समक्ष, शब्द, अक्षर और अंक " 30 नवंबर 2024 तक फाइल" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, सारणी 10 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या डेबिट नोट या उसी के ऊपरी संशोधन के माध्यम से बढ़ाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 से आगे, सारणी 11 के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित आपूर्ति या कर के विवरण जो चालान या क्रेडिट नोट के माध्यम से घटाए गए हैं किंतु अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में या प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधित रूप में या चालान प्रस्तुति सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किए गए हैं, यहाँ घोषित किए जाएंगे।"; (II) दूसरे स्तम्भ में, तालिका संख्या 12 के समक्ष, अक्षर, शब्द और अंक "और 2023-24, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी नहीं भरना का विकल्प होगा" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, वित्तीय वर्ष के प्रत्यावर्तित आईटीसी का संकलित मूल्य जो अगले वित्तीय वर्ष में फाइल रिटर्न के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया है, जो 30 नवंबर तक फाइल किया गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा (यह तालिका 7 का भाग नहीं होगा)। अगले वित्तीय वर्ष के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है।"; (III) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 13 के समक्ष, अक्षर, शब्द और अंक "और 2023-24, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी नहीं भरने का विकल्प होगा" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए, वित्तीय वर्ष से संबंधित प्राप्त माल या सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के रिटर्न में
--	--	--

		उपभोग किया गया था जो अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक फाइल किया गया था, यहाँ घोषित किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक के प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का उपयोग इन विवरणों को भरने के लिए किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जो किसी वित्तीय वर्ष में नियम 37 या नियम 37क के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया था किंतु अगले वित्तीय वर्ष में पुनः उपभोग किया गया था, ऐसे आईटीसी के पुनः उपभोग के विवरण केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर-9 की सारणी 6ज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह यहाँ रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।"; (vi) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तम्भ में, क्रम संख्या "15क, 15ख, 15ग और 15घ", "15ङ, 15च और 15छ", 16क, 16ख, 16ग, और "17 और 18" के समक्ष, अंक और शब्द, "2022-23 और 2023-24", जहाँ कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रख दिए जाएंगे; (vii) पैरा 9 में, शब्द "केवल" के स्थान पर शब्द " या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर " रख दिये जाएंगे।												
प्ररूप जीएसटीआर-9ग का संशोधन	10.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में, - (क) सारणी में,- (i) भाग II में, शीर्षक "वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरए 9) में घोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान " के अधीन, क्रम संख्या 7 के समक्ष, शीर्षक "कराधेय आवर्त का समाधान " के अधीन,- (क) क्रम संख्या घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्, - <table><tr><td>घ1</td><td>आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (ख) दूसरे स्तम्भ में, क्रम संख्या ङ के समक्ष, अक्षर और कोष्ठक "(क-ख-ग-घ)" के स्थान पर अक्षर और कोष्ठक "(क-ख-ग-घ-घ1)" रख दिए जाएंगे; (ii) भाग III में शीर्षक "संदत्त कर का समाधान" के अधीन,- (क) क्रम संख्या 9 के समक्ष शीर्षक " समाधान या दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम" के अधीन,- (i) प्रविष्टि क्रम संख्या ट-1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्, - <table><tr><td>ट-2</td><td>आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को</td><td>NA</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	घ1	आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]					ट-2	आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को	NA			
घ1	आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]													
ट-2	आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को	NA												

रिपोर्ट करना है]

(ii) दूसरे स्तम्भ में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, शब्द "संदत्त" के स्थान पर शब्द "संदेय" रख दिया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 11 के समक्ष, शीर्षक "अतिरिक्त संदेय रकम, किंतु संदत्त नहीं गई (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 में विनिर्दिष्ट कारणों से)" के अधीन,-

(i) शब्द "नकदी" के स्थान पर शब्द और अक्षर "नकदी या आईटीसी" रख दिए जाएंगे;

(ii) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्: -

वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]	लागू नहीं					
---	-----------	--	--	--	--	--

(iii) भाग V में शीर्षक "गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व" के अधीन, -

(क) शब्द "नकदी" के स्थान पर शब्द और अक्षर "नकदी या आईटीसी" रख दिए जाएंगे;

(ख) "अन्य" से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

वे आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालक से कर का संदाय करना अपेक्षित है [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]						
---	--	--	--	--	--	--

भाग V के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

17	संदेय और संदत्त विलंब शुल्क		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	एकीकृत कर		
ख	केंद्रीय कर		
ग	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर		

";

(ख) शीर्षक "अनुदेश" के अधीन,-

(i) पैरा 4 में, सारणी में,-

(क) दूसरे स्तम्भ में, अंक और शब्द "2022-23 और 2023-24", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर, अंक और शब्द "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रख दिए जाएंगे;

(ख) सारणी संख्या 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

7घ1	आपूर्तियां जिन पर धारा 9 की उप-धारा (5) के
-----	--

		अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित की जाएगी। (ग) दूसरे स्तम्भ में, सारणी संख्या 7ड के समक्ष, शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "उपर्युक्त सारणी 7 ख, सारणी 7 ग, सारणी 7घ में प्रत्यावर्ती प्रभार, आदि" के स्थान पर, शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "उपर्युक्त सारणी 7 ख, सारणी 7 ग, सारणी 7घ और सारणी 7घ 1 में घोषित धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन किया गया प्रत्यावर्ती प्रभार, आपूर्तियाँ आदि" रख दिए जाएंगे; (घ) दूसरे स्तम्भ में सारणी 7च के समक्ष, अक्षर, अंक और कोष्ठक "(4 ढ - 4छ)" के स्थान पर अक्षर, अंक और कोष्ठक "(4 ढ - 4छ- 4छ1)" रख दिए जाएंगे; (ii) पैरा 6 में, सारणी में- (क) दूसरे स्तम्भ में सारणी संख्या 14 के समक्ष, अंक और शब्द "2022-23 और 2023-24" के स्थान पर, अंक और शब्द "2022-23, 2023-24 और 2024-25," रख दिए जाएंगे; (ख) सारणी संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- 17 धारा 47(2) के अनुसार विलंब शुल्क संदेय होगा। (iii) पैराग्राफ 8 में, शब्द "केवल" के स्थान पर शब्द "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या" रख दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 बढ़ाया जाना	11.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "प्ररूप जीएसटी एपीएल-02ए [नियम 110 और 111 देखें] भाग क अपील/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनंतिम पावती <आवेदक का नाम> <जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/संदर्भ संख्या/बीओ आईडी (दिनांक सहित)> "आपकी अपील <आवेदन संदर्भ संख्या> के अधीन सफलतापूर्वक दायर कर दी गई है। आपने माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के पोर्टल पर एक अपील/आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी अनंतिम पावती दी जाती है और इसका दाखिला/स्वीकृति रजिस्ट्री/न्यायाधीश द्वारा जाँच के अधीन है। अनंतिम पावती संख्या <दैनिक संख्या> दिनांक _____ है।" जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर - दाखिल करने की तिथि - दाखिल करने का समय - दाखिल/अनंतिम पावती संख्या - अपील दायर करने वाले व्यक्ति का नाम - अपील शुल्क - संव्यवहार संख्या - <हस्ताक्षर> स्थान: दिनांक: नाम पदनाम जीएसटी अपीलीय अधिकरण की ओर से

		भाग ख अपील/आवेदन के रजिस्ट्रीकरण/अस्वीकार की सूचना देने वाली अंतिम पावती आपकी अपील/आवेदन <आवेदन संदर्भ संख्या> दिनांक <दिनांक> के अंतर्गत सफलतापूर्वक दाखिल/रजिस्ट्रीकृत हो गई है। जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/ईएनआर - केस रजिस्ट्रीकरण संख्या - स्वीकृति की तिथि - उपस्थिति की तिथि: न्यायालय संख्या: समय: पीठ: एआर/जेआर/डीआर/आर जीएसटीएटी..... पीठ” या आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, अस्वीकृत कर दी गई है। अस्वीकृति की तारीख: एआर/जेआर/डीआर/आर जीएसटीएटी.....पीठ” या आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है। खारिज करने की तारीख: एआर/जेआर/डीआर/आर जीएसटीएटी..... पीठ” या आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, गलत क्षेत्राधिकार के कारण अस्वीकृत कर दी गई है। अस्वीकृति की तारीख: एआर/जेआर/डीआर/आर जीएसटीएटी..... पीठ” या
--	--	--

		आपकी अपील/आवेदन, जिसकी अनंतिम पावती संदर्भ संख्या ----- दिनांक ----- है, आपूर्ति स्थान संबंधी मुद्दे की गलत प्रयोज्यता के कारण अस्वीकार कर दी गई है। अस्वीकृति की तारीख: एआर/जेआर/डीआर/आर जीएसटीएटी..... पीठ															
प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 बढ़ाया जाना	12.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - प्ररूप जीएसटी एपीएल-04क [नियम 113(2) देखें] माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् आदेश और मांग का सारांश क्या पुनः प्रेषण आदेश है: हाँ / नहीं आदेश संदर्भ संख्या- आदेश की तारीख- <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 70%;">जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/ यूआईएन -</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अपील मामला संदर्भ संख्या -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>अपीलार्थी का नाम -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>प्रत्यर्थी का नाम -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई -</td> <td></td> </tr> </table> क) आदेश प्रकार -- मांग, रजिस्ट्रीकरण, प्रतिदाय, प्रवर्तन, प्रतिदाय और अन्य ख) संदर्भ संख्या - तारीख - 6. व्यक्तिगत सुनवाई - (सभी सुनवाई तारीखें) 7. अपील के अधीन आदेश की स्थिति- पुष्ट/ संशोधित/ अस्वीकृत पुष्ट - अपील के अधीन आदेश पुष्ट किया गया संशोधित - अपील के अधीन आदेश संशोधित किया गया अस्वीकृत - अपील के अधीन आदेश रद्द किया गया 8. संक्षेप में आदेश: (मुक्त पाठ, अधिकतम 2500 वर्ण)- 9. यदि मांग आदेश है, तो क्या मांग परिमाणित है: (हाँ/नहीं) (यदि उत्तर हाँ है, तो मांग निम्नप्रकार परिमाणित है:) खंड-1	1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/ यूआईएन -		2.	अपील मामला संदर्भ संख्या -		3.	अपीलार्थी का नाम -		4.	प्रत्यर्थी का नाम -		5.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई -	
1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/ यूआईएन -																
2.	अपील मामला संदर्भ संख्या -																
3.	अपीलार्थी का नाम -																
4.	प्रत्यर्थी का नाम -																
5.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई -																

विवरण	केंद्रीय कर		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल	
	विवादित राशि	अवधारित राशि	विवादित राशि	अवधारित राशि	विवादित राशि	अवधारित राशि	विवादित राशि	अवधारित राशि	विवादित राशि	अवधारित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) कर										
(ख) ब्याज										
(ग) शास्ति										
(घ) फीस										
(ङ) अन्य										
(च)प्रतिदाय										

खंड-II

आपूर्ति का स्थान/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद में राशि					
	अवधारित राशि					
पंक्तियाँ जोड़ें						

10. अन्य आदेशों और मांग आदेशों के लिए जो परिमाणित नहीं हैं

समुचित अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित मुद्दे	जीएसटी अपीलीय अधिकरण का आदेश

		11. यदि निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया: क) प्रतिप्रेषित किया गया: (उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करें जिसे प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोई अन्य) ख) निर्देश जिनके अधीन प्रतिप्रेषित किया गया, यदि कोई हो: (मुक्त पाठ, अधिकतम 1000 शब्द) खंड-III (मुनाफाखोरी-विरोधी) 12. संक्षेप में आदेश: (ड्रॉप-डाउन मान) क) मूल्य में कमी ख) प्राप्तकर्ता को उस राशि की वापसी जो जारी नहीं की गई, ब्याज सहित ग) उपभोक्ता कल्याण निधि/निधियों में जमा घ) अधिरोपित शास्ति (राशि विनिर्दिष्ट की जानी है) ङ) रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण स्थान: _____ तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____ पदनाम: _____ अधिकारिता:-"
प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्: - "प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 नियम 110(1) देखें माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में अपील - जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन - - अपीलकर्ता का नाम - - अपीलकर्ता का पता - - प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण): (क) (ख) (ग) (प्रत्यर्थी(गण) का पदनाम और कार्यालय विनिर्दिष्ट करें) 5. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया गया, - एपीएल-04/अस्वीकृत एपीएल-02 संख्या -

तारिख-

7. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है -- हाँ/नहीं

8. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी को पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय -

9. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी की संचार तिथि --

10. अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए गए आदेश का विवरण:

क) संख्या - तारिख --

ख) आदेश प्रकार (अनुलग्नक क के अनुसार)

ग) विवाद की अवधि (DDMMYYYY) से (DDMMYYYY) तक
(मांग संबंधी आदेशों के लिए लागू)

11. क्रम संख्या 9 में विनिर्दिष्ट आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का विवरण: (उक्त प्राधिकारी का पदनाम और कार्यालय विनिर्दिष्ट करें)

12. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

(क) नाम..... मोबाइल ईमेल

(ख) नाम..... मोबाइल ईमेल

13. अधिनियम (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर)

14. विवाद के अधीन मामले का विवरण:

क) विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त मुद्दा

ख) विवाद के अधीन मामले की श्रेणी (अनुलग्नक ख के अनुसार)

ग) जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ माल जब्त किया गया है

15. मामले का सारांश (अनुलग्नक ग के अनुसार)

16. अपीलकर्ता के बारे में (अनुलग्नक घ के अनुसार)

17. तथ्यों का कथन (अनुलग्नक ड के अनुसार)

18. अपील के आधार

19. प्रार्थना

20. सृजित, विवादित और स्वीकृत मांग का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर			राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			एकीकृत कर			उपकर			कुल राशि		
	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि यदि कोई (क)	स्वीकृत राशि (ख)	विवाद के अधीन राशि (ग) (क-ख) (स्तंभ 3, 5, 7, 9, 10 और 11 एपीएल-04 की तालिका 9 से स्व-पूर्ण, जहाँ यह सिस्टम है या आदेश के वैकल्पिक प्रवाह के अनुसार)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि यदि कोई (क)	स्वीकृत राशि (ख)	विवाद के अधीन राशि (ग) (क-ख) (स्तंभ 3, 5, 7, 9, 10 और 11 एपीएल-04 की तालिका 9 से स्व-पूर्ण, जहाँ यह सिस्टम है या आदेश के वैकल्पिक प्रवाह के अनुसार)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि यदि कोई (क)	स्वीकृत राशि (ख)	विवाद के अधीन राशि (ग) (क-ख) (स्तंभ 3, 5, 7, 9, 10 और 11 एपीएल-04 की तालिका 9 से स्व-पूर्ण, जहाँ यह सिस्टम है या आदेश के वैकल्पिक प्रवाह के अनुसार)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि यदि कोई (क)	स्वीकृत राशि (ख)	विवाद के अधीन राशि (ग) (क-ख) (स्तंभ 3, 5, 7, 9, 10 और 11 एपीएल-04 की तालिका 9 से स्व-पूर्ण, जहाँ यह सिस्टम है या आदेश के वैकल्पिक प्रवाह के अनुसार)	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि यदि कोई (क)	स्वीकृत राशि (ख)	विवाद के अधीन राशि (ग) (क-ख) (स्तंभ 3, 5, 7, 9, 10 और 11 एपीएल-04 की तालिका 9 से स्व-पूर्ण, जहाँ यह सिस्टम है या आदेश के वैकल्पिक प्रवाह के अनुसार)
(क) कर															
(ख) ब्याज															
(ग) शास्ति															
(घ) फीस															
(ङ) अन्य प्रभाव															

21. स्वीकृत राशि और पूर्व-जमा का भुगतान विवरण:

(क) संदेय राशि का विवरण:

विवरण	केंद्रीय कर		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल राशि	
	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)	(क) स्वीकृत राशि	(ख) पूर्व-जमा (विवादित कर का 10%)
(क) कर										
(ख) ब्याज										
(ग) शास्ति										
(घ) फीस										
(ङ)										

अन्य प्रभार										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख) स्वीकृत राशि और पूर्व-जमा का भुगतान विवरण (विवादित स्वीकृत कर और उपकर का 10% पूर्व-जमा)

क्र.सं.	विवरण	संदेय कर	नकद/क्रेडिट लेजर के द्वारा संदाय	डेबिट प्रविष्टि संख्या	संदत्त कर की राशि			
					एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एकीकृत कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
2	केंद्रीय कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
3	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					
4	उपकर		नकद लेजर					
			क्रेडिट लेजर					

(ग) ब्याज, शास्ति, विलंब फीस और कोई अन्य संदेय और संदत्त राशि:

क्र.सं.	विवरण	संदेय राशि				डेबिट प्रविष्टि संख्या	संदत्त राशि			
		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ब्याज									
2	शास्ति									
3	विलंब फीस									
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

सत्यापन

मैं, < _____ >, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे पास सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध मेरे द्वारा या मेरी ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकारी के

समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।

आज _____ दिन _____ माह _____ 20....

को सत्यापित।

< हस्ताक्षर >

स्थान: आवेदक का नाम

दिनांक: पदनाम/स्थिति

अनुलग्नक क

(आदेश प्रकार)

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची
1	मांग आदेश
2	प्रतिदाय आदेश
3	रजिस्ट्रीकरण आदेश
4	प्रवर्तन आदेश
5	वसूली आदेश
6	अन्य आदेश

अनुलग्नक ख

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत प्रयोज्यता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत अवधारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत अवधारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	संदत्त या संदत्त माने गए कर के इनपुट कर प्रत्यय की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व अवधारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का	

			उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें		
9	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
10	रजिस्ट्रीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
11	रजिस्ट्रीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
12	रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
13	संयोजन योजना के अधीन कर संदाय की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
14	रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
15	रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें		
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
20	गैर-दाखिलकर्ता या रजिस्ट्रीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
21	धारा 73 के अधीन जावक आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का अवधारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में		

		प्राप्त/उपयोग	विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला			
37	अन्य-			
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे			

मामले का सारांश (जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन				
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
4	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय				
5	जुर्माने का लगाना				
6	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माने का लगाना				
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)				
8	कोई अन्य				

उपयोगकर्ता एक से अधिक मुद्दा जोड़ सकता है

क्र.सं.	'आदेश प्रकार' की सूची	मामला (केस) सारांश- संबंधित मुद्दा
1	मांग आदेश	1) कर का कम या भुगतान न करना 2) जुर्माना लगाना 3) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना 4) वर्गीकरण विवाद
2	प्रतिदाय आदेश	1) त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय
3	पंजीकरण आदेश	1) पंजीकरण 2) पंजीकरण रद्द करना
4	प्रवर्तन आदेश	1) जुर्माना लगाना 2) ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना लगाना
5	वसूली आदेश	1) आईटीसी से अस्वीकार /अवरुद्ध करना
6	अन्य आदेश	कोई अन्य

अपीलकर्ता के बारे में

संघटन / पहचान संख्या	कारबार का संघटन	जिस अधिनियम के अधीन निगमित	कारबार प्रारंभ की तिथि	पता	कारबार की प्रकृति	कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अपीलकर्ता को निम्नलिखित स्वतंत्र पाठ रूप में बताना है:

अपीलकर्ता को उल्लेख करना है:

क. उसके कारबार का संविधान (जैसे कंपनी, साझेदारी, एचयूएफ, ट्रस्ट, आदि)

ख. अधिनियम जिसके अधीन निगमित, यदि कोई हो (जैसे कंपनी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, आदि)

ग. इसके संविधान की तिथि

घ. गठन प्राधिकारी द्वारा इसे दी गई संघटन/पहचान संख्या (जैसे कंपनी के मामले में कॉर्पोरेट पहचान संख्या, आदि)

ङ. इसके मुख्य कार्यालय का पता और राज्य में इसके मुख्य कारबार स्थल का पता

च. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी और जिस तिथि से जीएसटी के अधीन पंजीकृत

छ. कारबार की प्रकृति जिसमें वह संलग्न है (जैसे निर्माता/थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता/सेवा प्रदाता, आदि)

ज. अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य

अनुलग्नक ड

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई कर्ता	तिथि	संक्षिप्त विवरण
<आवश्यक होने पर पंक्तियाँ जोड़ें>			

प्ररूप
जीएसटी
एपीएल-06
का संशोधन

14.

उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्: ---

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-06

[नियम 110(2) देखें]

धारा 112 की उप-धारा (5) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवाद

क्र.सं.	विवरण																														
1	अपील संख्या -																														
2	वर्तमान प्रतिवाद दाखिल कर्ता: - जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन/सीआरएन/एआरएन - नाम - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर - संचार के लिए पता - अधिकारी का पदनाम - कार्यालय विवरण - ई-मेल आईडी - संपर्क नंबर -																														
3	आदेश संख्या - (अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश) - तिथि-																														
4	अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और क्षेत्राधिकार पदनाम: क्षेत्राधिकार: आदेश पारित कर्ता:																														
5	अपील किए गए आदेश की संसूचना तिथि -																														
6	प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, जहाँ उपलब्ध - उक्त प्रतिनिधि की ई-मेल आईडी - उक्त प्रतिनिधि का संपर्क नंबर																														
7.	विवाद के अधीन मामले का विवरण -																														
(i)	विवाद की अवधि -																														
(ii)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवाद के अधीन राशि</th><th>केंद्रीय कर</th><th>राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) कर</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ख) ब्याज</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ग) जुर्माना</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(घ) फीस</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर	(क) कर					(ख) ब्याज					(ग) जुर्माना					(घ) फीस					(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)				
विवाद के अधीन राशि	केंद्रीय कर	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर	एकीकृत कर	उपकर																											
(क) कर																															
(ख) ब्याज																															
(ग) जुर्माना																															
(घ) फीस																															
(ङ) अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करें)																															
(iii)	जब्त किए गए माल का बाजार मूल्य, जहाँ सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्ती है -																														
8	सम्मिलित मुद्दों का सारांश और उसके उत्तर का सारांश - अनुलग्नक क																														
9	करदाता या केंद्रीय/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि - या वर्तमान प्रतिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ दाखिल अपील या आवेदन की सूचना प्राप्ति की तिथि -																														
मांग तालिका																															
10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>श्रेणी</th><th>कर</th><th>निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार</th><th>अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित</th><th>इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	श्रेणी	कर	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार																									
श्रेणी	कर	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति के अनुसार																											

			कर	केंद्रीय कर				
				राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर				
				एकीकृत कर				
				उपकर				
				कुल				
				व्याज	केंद्रीय कर			
					राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
					एकीकृत कर			
					उपकर			
					कुल			
				जुर्माना	केंद्रीय कर			
					राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
					एकीकृत कर			
					उपकर			
					कुल			
				फीस	केंद्रीय कर			
					राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर			
					एकीकृत कर			
					उपकर			
					कुल			
			अन्य	केंद्रीय कर				
				राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर				
				एकीकृत कर				
				उपकर				
				कुल				
			प्रतिदाय	केंद्रीय कर				
				राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कर				
				एकीकृत कर				
				उपकर				
				कुल				
11	प्रतिवाद के ज्ञापन में दावा की गई राहत							
12	उत्तर का सारांश (अनुलग्नक ख)							
13	प्रतिवाद के आधार							
14	पैरा-वार उत्तर (अलग से अपलोड करें)							
सत्यापन: मैं, < _____ >, एतद्वारा सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा यह मेरे कब्जे में स्थित सूचनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों से प्राप्त है और आगे यह कि इससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है।								

		आज _____ दिन _____ माह _____ 20... _____ को सत्यापित।	
		स्थान : _____ तिथि : _____	
		<हस्ताक्षर> इस प्रतिवाद को दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम: आवेदक/अधिकारी का पदनाम/स्थिति : "	
		अनुलग्नक क	
		(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)	
क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या इसमें सम्मिलित मुद्दे	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें		
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें		
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट		

		धारा और नियम का उल्लेख करें		
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
21	धारा 73 के अधीन जावक आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट		

	आदेश	धारा और नियम का उल्लेख करें		
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें		
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला			
37	अन्य-			
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे			

अनुलग्नक ख

उत्तर का सारांश

(जहाँ परिमाण और जहाँ लागू हो, भारतीय रुपए में राशि बताएं)

(प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र.सं.	संबंधित मुद्दा	निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का स्टैंड	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा किए अनुसार	जी.एस.टी.ए.टी. के समक्ष उठाये गए आधार/मुद्दे का उत्तर
1	पंजीकरण					
2	पंजीकरण की प्रत्यावर्तन					
3	आईटीसी का इनकार/अवरोधन					
4	कर का कम या गैर-भुगतान					
4	त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					
5	जुर्माने का लगाना					

		<table><tr><td>6</td><td>ब्याज या विलंब शुल्क या जुमनि का लगाना</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>कोई अन्य</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	6	ब्याज या विलंब शुल्क या जुमनि का लगाना						7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)						8	कोई अन्य					
6	ब्याज या विलंब शुल्क या जुमनि का लगाना																						
7	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संबंधित स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख)																						
8	कोई अन्य																						
		".																					
प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 का संशोधन	15.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्: – "प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 [नियम 111 देखें] (धारा 112 की उप धारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन) 1. अपीलकर्ता/अपीलकर्ता के कार्यालय का नाम और पदनाम: (क). नाम (ख). पदनाम (ग). न्यायाधिकार (घ). राज्य/केंद्र 2. जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन (प्रत्यर्थी का) - 3. प्रत्यर्थी का नाम 4. प्रत्यर्थी का पता 5. जिसके विरुद्ध अपील की गई है वह आदेश - संख्या - दिनांक - 6. अपील किए गए आदेश पारित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण का न्यायाधिकार सहित पूरा पदनाम - 7. अपील किए गए आदेश की संसूचना की दिनांक - 8. विवाद के अधीन मामले का विवरण: क. विवाद के अधीन मामले का संक्षिप्त मुद्दा ख. विवाद की अवधि - ग. मामले का सारांश (अनुबंध क के अनुसार) घ. जब्त किए गए माल का बाज़ार मूल्य, जहां सम्मिलित मुद्दों में से एक माल की जब्ती/जब्त करना है 9. प्रत्यर्थी के बारे में (अनुबंध ख के अनुसार) 10. क्या विवाद में आपूर्ति का स्थान सम्मिलित है- हां/नहीं 11. तथ्यों का कथन (अनुबंध ग के अनुसार) 12. अपील के आधार - 13. प्रार्थना - 14. विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे - (अनुबंध घ के अनुसार) 15. मांग का विवरण:																					

<हस्ताक्षर>

अधिकारी का नाम:

पदनाम:

न्यायाधिकार:

अनुलग्नक क

मामले का सारांश

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं)

क्र. संख्या	मुद्दा संबंधित	न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश अनुसार	अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित	न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का रुख	वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा घोषित/दावा
1	पंजीकरण				
2	पंजीकरण के रद्दीकरण प्रत्यावर्तन का				
3	आईटीसी की अस्वीकृति/रोकना				
4	कर का कम या गैर-भुगतान				
5	गलत प्रतिदाय				
6	शास्ति का आरोपण				
7	ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना का आरोपण				
8	वर्गीकरण विवाद (इस पंक्ति के संगत स्तंभों में एचएसएन का उल्लेख करें)				
9	कोई अन्य				

अनुलग्नक ख

प्रत्यर्थी के बारे में

कारबार का संविधान	पता	कारबार की प्रकृति	कोई अन्य सुसंगत तथ्य
जीएसटीएन/अस्थायी पहचान	कारबार का संविधान	कोई अन्य संविधान कारबार	पता कारबार की प्रकृति कोई अन्य सुसंगत तथ्य

अनुलग्नक ग

तथ्यों का कथन (मामले का इतिहास)

(भारतीय रुपयों में राशि का संकेत, जहां परिमाण योग्य और जहां लागू हो, प्रत्येक सेल में 1000 अक्षरों से अधिक नहीं, आवश्यक होने पर दस्तावेज अपलोड करें)

संदर्भ/पावती संख्या	कार्रवाई करने वाला	दिनांक	संक्षिप्त विवरण
---------------------	--------------------	--------	-----------------

अनुबंध घ

(विवाद के अधीन मामले की श्रेणी या सम्मिलित मुद्दे)

क्र. संख्या	विवाद के अधीन मामले की श्रेणी की सूची	टैब	सम्मिलित राशि (जहां परिमाण योग्य हो)
1	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण	एचएसएन का उल्लेख करें	
2	इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना की गलत लागूता	अधिसूचना संख्या और दिनांक का उल्लेख करें	
3	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
4	माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
5	भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के आदान कर क्रेडिट की गलत स्वीकार्यता/क्रेडिट लेजर को क्रेडिट/आईटीसी की अस्वीकृति/क्रेडिट की रोकना	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
6	किसी माल या सेवाओं या दोनों पर कर का दायित्व निर्धारण में गलती	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
7	क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है या उसे स्वप्रेरणा से पंजीकरण प्रदान किया गया है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
8	क्या आवेदक द्वारा किये गए कोई विशेष कार्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति में परिणत होती है	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और अनुसूची का उल्लेख करें	
9	पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
10	पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
11	पंजीकरण का निलंबन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
12	पंजीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
13	संयोजन योजना के अधीन कर भुगतान की सुविधा से वंचन	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
14	पंजीकरण का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	

15	पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन की अस्वीकृति/स्वीकृति	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
16	करदाता के उत्तर को स्वीकार करने का आदेश/कारण बताओ नोटिस छोड़ने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
17	जीएसटीपी की अयोग्यता का आदेश/जीएसटीपी के नामांकन का रद्दीकरण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
18	स्थानांतरण/वसूली की शुरुआत/वसूली का विशेष तरीका (सभी प्रकार की कुर्की)	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम और आदेश के फॉर्म का उल्लेख करें	
19	गलत तरीके से एकत्रित कर/एकत्रित कर का सरकार को भुगतान नहीं	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
20	गैर-दाखिलकर्ता या पंजीकरण से बचने वाले या सुरक्षात्मक निर्धारण सहित निर्धारण का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
21	धारा 73 के अधीन जावक आपूर्ति पर भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए कर का निर्धारण	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
22	धारा 73 के अधीन अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
23	अस्वीकृत प्रतिदाय के दावे या गलत तरीके से प्राप्त प्रतिदाय की जमा के क्रेडिट लेजर में पुनः क्रेडिट का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
24	अनंतिम प्रतिदाय को अस्वीकार/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
25	प्रतिदाय को अस्वीकार/कम/रोक/प्रदान करने का आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
26	अनंतिम निर्धारण से संबंधित मुद्दा	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
27	धारा 74 के अधीन निर्धारित धोखाधड़ी या तथ्य के जानबूझकर छुपाव के कारण कर का गैर-भुगतान/कम भुगतान	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
28	धारा 74 के अधीन निर्धारित अधिक आईटीसी प्राप्त/उपयोग	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
29	माल/पुस्तकों/संपत्ति की जब्ती/जब्त करने या ऐसे माल/पुस्तकों/संपत्ति की रिहाई से संबंधित मुद्दे	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
30	पूर्व आदेश के सुधार/वापसी से संबंधित आदेश	अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में	

			विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
31	पूर्व कानून के अधीन मांग सृजित/संशोधित/वापस लेने से संबंधित आदेश		अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
32	किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का आदेश		अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
33	संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित आदेश		अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
34	शास्ति आरोपित करने का आदेश		अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
35	किसी अपराध के शमन की अनुमति देने या ऐसे आदेश को वापस लेने का आदेश		अपीलीय/पुनरीक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट धारा और नियम का उल्लेख करें	
36	मुनाफाखोरी विरोधी संबंधित मामला			
37	अन्य-			
38	माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान से संबंधित मुद्दे			

आज्ञा से,

(एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव।

Digitally signed by
M.Devaraj
Date: 20-09-2025
22:15:12